लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स बुड़गहन लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो. श्री विनोद शर्मा), ग्राम–बुड़गहन, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक–171 एवं 172/1, कुल क्षेत्रफल–1.092 हेक्टेयर में पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–14,125.45 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स बुड़गहन लाईम स्टोन क्वारी (प्रो. श्री आशीष अग्रवाल), ग्राम–बुड़गहन, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक–173, 174, 175 (पार्ट) एवं 176(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–2.91 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–25,020 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स बुड़गहन लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री आशीष अग्रवाल), ग्राम–बुड़गहन, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–177 एवं 178, कुल क्षेत्रफल–2.387 हेक्टेयर में पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–26,340 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो. श्री अशोक बाजपेयी), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक–63 (पार्ट), 75, 76 एवं 78 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.13 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–8,185.5 टन प्रतिवर्ष हेतु संयुक्त लोक सुनवाई दिनांक 04.12.2024 को प्रातः 10:00 बजे से ग्राम बुड़गहन स्थित खसरा नंबर 874, 875 रकबा 11.55 हेक्टेयर, तहसील सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 04.12.2024 को आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत मेसर्स बुड़गहन लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो. श्री विनोद शर्मा), ग्राम–बुड़गहन, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक– 171 एवं 172/1, कुल क्षेत्रफल–1.092 हेक्टेयर में पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–14,125.45 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स बुड़गहन लाईम स्टोन क्वारी (प्रो. श्री आशीष अग्रवाल), ग्राम–बुड़गहन, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार –भाटापारा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक–173, 174, 175 (पार्ट) एवं 176(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–2.91 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–25,020 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स बुड़गहन लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री आशीष अग्रवाल), ग्राम–बुड़गहन, तहसील–सिमगा, जिला – बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–177 एवं 178, कुल क्षेत्रफल–2.387 हेक्टेयर में पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–26,340 टन प्रतिवर्ष, मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो. श्री अशोक बाजपेयी), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा

(छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक–63 (पार्ट), 75, 76 एवं 78 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल– 1.13 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–8,185.5 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् संयुक्त लोक सुनवाई कराने हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्रों हरिभूमि रायपुर एवं अमृत इंडिया नई दिल्ली में दिनांक 31/10/2024 को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 04.12.2024 समय 10:00 बजे लोकसुनवाई का आयोजन ग्राम बुड़गहन स्थित खसरा नंबर 874, 875 रकबा 11.55 हेक्टेयर, तहसील सिमगा, जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला – बलौदाबाजार – भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई व तामिली भी ली गई।

परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 04.12.2024 को अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार – भाटापारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 150 जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई प्रातः 10:00 बजे आरंभ हुई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 01 से 07 तक)।

3. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई आरंभ करने का निवेदन किया गया।

4. अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की गई तथा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

5. परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद शर्मा एवं श्री आशीष अग्रवाल की ओर से श्री आशुतोष सन्यासी मेसर्स एम्प्लएनवायरो प्राईवेट लिमिटेड ने कहा कि आज पर्यावरण स्वीकृति के तहत् लोक सुनवाई कार्यक्रम में माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित ग्रामवासी का मैं स्वागत करता हूँ। प्रस्तावित 4 चूना पत्थर खदानें ग्राम– बुड़गहन एवं आमाकोनी. तहसील– सिमगा, जिला– बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़, में स्थित हैं । प्रस्तावित खनन खुली प्रक्रिया (open Cast) के माध्यम से किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना S.O.1960 (E) दिनांक 13 जून,

2019 के अनुसार, को श्रेणी B1 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के TOR प्राप्त करने हेतु फॉर्म–1, प्री–फिजिबिलिटी EMP, रिपोर्ट राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ प्रस्तुत किया गया है। ईआईए (EIA) अधिसूचना 2006 के अनुसार प्रस्तावित खदानों को राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण से TOR प्राप्त हो गई हैं। पार्टिकुलेट मैटर – PM10 (Stander Value up to 100 µg/m3 as per Guideline) अध्ययन क्षेत्र में निगरानी किए गए पार्टिकुलेट मैटर का 98 वां प्रतिशत मान 61.3 से 91.8 µg/m3 की सीमा में है, जो NAAQS (National Ambient Air Quality Standards) मानकों की निर्धारित सीमा में पाया गया। पार्टिकुलेट मैटर – PM 2.5 (Stander Value up to 60 µg/m3 as per Guideline) अध्ययन क्षेत्र में निगरानी किए गए PM 2.5 के 98 वें प्रतिशत मान 25.2 से 52.5 µg/m3 की सीमा में हैं, जो NAAQS (National Ambient Air Quality Standards) मानकों की निर्धारित सीमा में पाए गए। सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) (Standard Value up to 80 µg/m3 as per Guideline) अध्ययन क्षेत्र में सल्फर डाइ ऑक्साइड का 98 वाँ प्रतिशत मान 11.2 से 12.3 µg/m3 की सीमा में है, जो NAAQS मानकों की निर्धारित सीमा में पाया गया। नाइट्रोजन डाइ–ऑक्साइड NO2 (Stander Value up to 80 µg/m3 as per CPCB Guideline) अध्ययन क्षेत्र में नाइट्रोजन ऑक्साइड के 98 वें प्रतिशत मान 15.8 से 21.8 µg/m3 की सीमा में हैं, जो NAAQS मानकों की निर्धारित सीमाओं में पाए गए। ध्वनि पर्यावरण Standard आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसीबल एवं कामर्शियल क्षेत्रों में 65 डेसीबल ध्वनि सामान्य मानी जाती है। अधिकतम ध्वनि (दिन) का मान 52.3 dB(A) और न्यूनतम ध्वनि (दिन) का मान 48.1 dB(A) देखा गया। अधिकतम ध्वनि (रात) मान 45.1 dB(A) और न्यूनतम ध्वनि (रात) मान 41.8 dB(A) देखा गया। जल पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र में आठ भूजल और तीन सतही जल के नमूने एकत्र किए गए। विश्लेषण किए गए मापदंडों की तुलना IS 10500 (2012) के पेयजल मानक से की गई। भूजल गुणवत्ता का सारांश भूजल गुणवत्ता का सारांश नीचे दिया गया है यह देखा गया है कि भूजल नमूनों का pH 7.0 से 7.9 है, जो दर्शाता है कि सभी नमूने स्वीकार्य सीमा में हैं। कुल घुलित ठोस पदार्थ 567 –705 mg/l के मध्य थे, जो दर्शाता है कि सभी 6 नमूने स्वीकार्य सीमा से ऊपर हैं, लेकिन अनुमेय (permissible) सीमा में हैं। भूजल नमूनों की कुल कठोरता 122.9 - 216.4 mg/l थी, सभी नमूने स्वीकार्य सीमा से ऊपर हैं, लेकिन अनुमेय सीमा में हैं। अध्ययन अवधि में क्लोराइड 101 mg/l से 119 mg/l तक पाया गया है। फ्लोराइड सांद्रता 0.4–0.6 mg/l के मध्य पाई गई। सतही जल गुणवत्ता का सारांश सतही जल गुणवत्ता का सारांश नीचे दिया गया है घुलित ऑक्सीजन 5.6 से 5.9 mg/l के मध्य है। यह देखा गया है कि सतही जल के नमूनों का pH 7.12 से 7.65 के मध्य है, जो दर्शाता है कि सभी नमूने स्वीकार्य सीमा में हैं। कुल घुलित ठोस पदार्थ 261 –292 mg/l के मध्य थे।सतही जल के नमूनों की कुल कठोरता 130–140 mg/l के मध्य है क्लोराइड की सांद्रता 15.1–16.5 mg/l के मध्य पाई गई। मिट्टी का pH 7.01 से 7.98 तक

होता है। उपलब्ध नाइट्रोजन सतही मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन सामग्री 262.1 से 306.6 kg/ha (किलोग्राम/हेक्टेयर) के मध्य है। उपलब्ध फॉस्फोरस की मात्रा 17.9 से 26.8 kg/ha (किलोग्राम/हेक्टेयर) के मध्य है। मिट्टी में उपलब्ध पोटेशियम की मात्रा 145.8 से 172. kg/ha (किलोग्राम/हेक्टेयर) के मध्य है। वायु पर्यावरण और शमन उपायों पर प्रभाव हवा में उड़ने वाले कण खुली खदान से निकलने वाले मुख्य वायु प्रदूषक हैं। खनन कार्य ओपन कास्ट सेमी–मैकेनाइज्ड खनन पद्धति को अपनाकर किया जाएगा। प्रस्तावित संचालन से उत्सर्जन का स्रोत सक्रिय खदान और इसकी गतिविधियों जैसे ड्रिलिंग, विस्फोट, लदान/ढुलाई और सामग्रियों के परिवहन से होगा। उत्सर्जन मुख्य रूप से पार्टिकुलेट मैटर (PM) होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय पार्टिकुलेट मैटर को और कम करने के लिए, परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित नियंत्रण उपाय अपनाए जाने चाहिए, नियंत्रित ड्रिलिंग और विस्फोट (Controlled Blasting) परिवहन के दौरान धूल उत्पन्न होने से रोकने के लिए परिवहन सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाना । ट्रक पर सामग्री चढ़ाते और उतारते समय पानी का छिड़काव ट्रकों/डंपर के माध्यम से परिवहन करते समय सामग्री को ढककर रखना भारतीय मानक के अनुसार ही वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए। ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव और शमन उपाय भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनों के संचालन और संबंधित उत्खनन कार्यों जैसे परिवहन, विस्फोट, कार्यशाला गतिविधियों आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय परिवेशीय ध्वनि के स्तर को सीमा से नीचे रखने के लिए निम्नलिखित नियंत्रण उपाय अपनाए जाएंगे। ड्रिलिंग, तेज ड्रिल बिट्स की मदद से की जाएगी जो ध्वनि को कम करने में मदद करेगी। ध्वनि, जमीनी कंपन, उड़ते टुकडे और वायु के अधिक दबाव को कम करने के लिए नियंत्रित विस्फोट की जाएगी। ध्वनि को कम करने के लिए नियमित अंतराल पर मशीनों का उचित रखरखाव, तेल लगाना और ग्रीसिंग की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए, सभी कर्मचारियों को ईयर प्लग/ईयरमफ प्रदान किए जाएंगे। बुनियादी ढांचे और खदान क्षेत्रों आदि के आसपास हरित पट्टी का विकास, प्रतिकूल प्रभावों को कम करेगा। भू–कंपन के कारण प्रभाव नियंत्रित विस्फोट का अभ्यास करके, समस्याओं को बहुत कम किया जाएगा और विस्फोट के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके प्रभाव को भी कम किया जाएगा, खदान सुरक्षा दिशा–निर्देशों के अनुसार विस्फोट का काम केवल दिन के समय ही किया जाएगा। उचित चेतावनी संकेतों का इस्तेमाल किया जाएगा। विस्फोट स्थल से पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखी जाएगी। विस्फोट नियंत्रित तरीके से की जाएगी, जिसमें गैर–इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हवा में धूल कम से कम फैले और उड़ते पत्थर के टुकडे 50–60 मीटर के अंतर्गत ही रहें। सक्षम व्यक्ति विस्फोट करेंगे और MMR & 1961 परिपत्रों और समय–समय पर जारी DGMS के निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित सावधानियों का पालन किया जाएगा। नियंत्रित विस्फोट की जाएगी और गैसीय उत्सर्जन को कम करने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल अनुकूलित किया जाएगा। इसके अलावा, मशीनों के आस–पास काम करने वाले लोगों को PPE (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) उपलब्ध कराए जाएंगे। जल पर्यावरण पर प्रभाव और शमन उपाय

प्रस्तावित खनन के कारण जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।खनन पट्टा क्षेत्र में कोई नदी नहीं है। कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्ट को सेप्टिक टैंक के माध्यम से सोखने वाले गड्ढे में डाला जाएगा। इस क्षेत्र में जल स्तर 30–35 मीटर गहराई पर है। इस क्षेत्र में उत्खनन अधिकतम 12 मीटर गहराई तक प्रस्तावित है। खदान में आने वाले पानी को रोकने के लिए खदान के किनारे पर गारलैंड नालियों का निर्माण किया जाएगा, ताकि सतह से अवरोध बना रहे। खदान में वृक्षारोपण खनन पट्टा क्षेत्र के 7.5 मीटर के परिधि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। निकटतम वन और बागवानी विभागों के परामर्श से हरित पट्टी का विकास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। वृक्षारोपण के लिए CPCB के दिशा–निर्देशों का पालन किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय में दिए गए सभी EMP उपायों का सख्ती से पालन किया जाएगा। नियंत्रण कुशन विस्फोट विधि के साथ मिलीसेकंड विलंब डेटोनेटर के साथ विस्फोट करना और विस्फोट और कंपन नियंत्रण के लिए दिए गए सभी EMP उपायों का पालन किया जाएगा। खदान पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ठोस अपशिष्ट नहीं डाला जाएगा। हरित पट्टा विकास और नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। ग्रामीण आबादी के लिए निवारक चिकित्सा देखभाल और शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से गांवों में विकास कार्यों के माध्यम से सामान्य लाभ पहुंचाना। ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य निगरानी शिविर, सामाजिक कल्याण और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में सरकारी प्रयासों को पूरक बनाना। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में सहायता करना। आमाकोनी चूना पत्थर खदान परियोजना (प्रो. श्री अशोक बाजपेयी) चूना पत्थर खदान परियोजना ने पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए 8.45 लाख रुपये की राशि का बजट रखा है और आवर्ती लागत लगभग 3.20 लाख रुपये प्रति वर्ष है। बुडगहन चूना पत्थर खदान परियोजना (प्रो. श्री विनोद शर्मा) चूना पत्थर खदान परियोजना ने पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए 7.10 लाख रुपये की राशि का बजट रखा है और आवर्ती लागत लगभग 3.0 लाख रुपये प्रति वर्ष है। बुडगहन चूना पत्थर खदान परियोजना 2.387 **Ha.** (प्रो. श्री आशीष अग्रवाल) चूना पत्थर खदान परियोजना ने पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए 9.50 लाख रुपये की राशि का बजट रखा है और आवर्ती लागत लगभग 3.60 लाख रुपये प्रति वर्ष है। बुडगहन चूना पत्थर खदान परियोजना 2.91 **Ha.** (प्रो. श्री आशीष अग्रवाल) चूना पत्थर खदान परियोजना ने पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए 9.80 लाख रुपये की राशि का बजट रखा है और आवर्ती लागत लगभग 3.70 लाख रुपये प्रति वर्ष है। लागत का कम से कम 2 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्रामवासी के हित में किया जावेगा। क्षेत्र पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न प्रदूषकों को अनुमेय सीमा में रोकने के लिए पर्याप्त निवारक उपाय अपनाए जाएंगे। पर्यावरण के सभी घटकों की नियमित निगरानी की जाएगी, विभिन्न प्रदूषकों को

अनुमेय (Permissible) सीमा में रोकने के लिए पर्याप्त निवारक उपाय अपनाए जाएंगे। क्षेत्र के आसपास हरितपट्टे का विकास एक प्रभावी प्रदूषण शमन (Mitigation) उपाय के साथ–साथ परियोजना परिसर से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाएगा। सामाजिक कल्याण उपायों में वृद्धि से आसपास के गांवों में विकास होगा। प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों के लिए लाभदायक होगी ।

अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के द्वारा कहा गया कि अभी आपके सामने परियोजना का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में विचार व्यक्त करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप कृपया यहां पर आयें माईक के पास एक–एक कर के और इस परियोजना के संबंध में अपना पक्ष या विपक्ष जो भी आप कहना चाहते हैं आकर अपना विचार रखें। आप अपना विचार व्यक्त करने से पहले अपना नाम और गांव का नाम बतायें। इसके बाद आप अपना विचार रखें। जिनको लिखित में देना है, वो लिखित में भी दे सकते हैं। मंच के पास काऊंटर बना है, वहां आप अपना लिखित में अभ्यावेदन दे सकते हैं और जिनको बोलना है वो कृपया माईक पर आयें और अपना विचार व्यक्त करें।

1. श्री सखाराम वर्मा, ग्राम – शिकारीकेशली ने कहा कि खदान के शुरू होने से हमें फायदा होगा, रोजगार मिलेगा और हमें काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
2. श्री एकनाथ ध्रुव, ग्राम– रानीजरौद ने कहा कि हमें खदान खुलने से कोई तकलीफ नहीं हैं। इससे हमें रोजगार मिलेगा।
3. श्री संदीप कुमार धृतलहरे, ग्राम – बुड़गहन ने कहा कि माइंस खुलने से हमें फायदा है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।
4. श्री सूरज सतनामी, अखिल भारतीय सतनाम सेवा, तिल्दा – इकाई ने कहा कि मैं अपने संगठन की ओर से इस लाईम स्टोन माइनिंग का हार्दिक स्वागत करता है। लेकिन कुछ बिन्दुओं की ओर मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि खदान का जो खनन कार्य है, उसके पास स्कूल हैं, तो पर्यावरण के नियमित मानक के हिसाब से खनन किया जाये एवं साऊण्ड डेसीमल के मानक के अन्तर्गत खनन कार्य किया जाए। हमारे संगठन का समर्थन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।
5. श्री कमलेश सतनामी, महासचिव तिल्दा इकाई ने कहा कि मैं इस खदान का समर्थन करता हूँ। साथ ही यह भी निवेदन है कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले।
6. श्री छबीलाल धांधेकर, चांपा ने कहा कि आस–पास प्लांट खुले हैं लेकिन वहाँ रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन इस खदान के खुलने से हमें रोजगार मिलने की संभावना है।
7. श्री जोहन लाल ध्रुव, ग्राम– आमाकोनी ने कहा कि इस खदान के खुलने से हमें रोजगार मिलेगा, इसके लिए धन्यवाद।

8. श्री रामेश्वर साहू, ग्राम– रानीजरौद ने कहा कि इस खदान के खुलने से हमें रोजगार मिलेगा, इसके लिए धन्यवाद।
9. श्री संतोष कुमार साहू, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम– बुड़गहन ने कहा कि आज की यह जो लोक जन सुनवाई हो रही है वो सराहनीय है, क्योंकि जनता की आवाज को सुनने के लिए यह शिविर लगा हुआ हैं और मैं इस खदान का समर्थन करता हूँ। इसका कारण यह है कि खदान में खनन होने से रायल्टी का पैसा गाँव में मिलता हैं। उन्हीं पैसों से गाँव का विकास कार्य होता हैं। मैं पिछले 10 साल से यहाँ का सरपंच हूँ और मैंने यह देखा है कि 90 % DMF फंड और रायल्टी के रूप में मिलता है, जिससे गाँव का विकास होता है। विकास की दृष्टि से यह खदान सराहनीय है और दूसरा पक्ष जो है वो यह कि गाँव के लोगों को रोजगार मिलता है और खदान वाले से मैं कहना चाहूंगा कि पर्यावरण की दृष्टि से खदान के आस–पास वृक्षारोपण किया जाए और वेस्ट पानी किसानों को देने का प्रबंध करें ताकि किसान लोग उस पानी का उपयोग कर सकें। मैं जनता की ओर से आग्रह करता हूँ कि इसपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि पानी अभी इस तरफ बह जाता है। वो पानी अगर हमारे गाँव के किसानों को मिलेगा तो वो भी खुश रहेंगे और रायल्टी के रूप में जो पैसा मिलेगा उससे गाँव के छोटे–छोटे विकास कार्य किये जाएंगे।
10. श्री नीलम भारद्वाज, ग्राम– बुड़गहन ने कहा कि जन सुनवाई कर रहे हैं वो जनता की हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए, लोगों को बाहर बैठा दिया गया है, और इस माईक के माध्यम से बात हो पा रही हैं। लेकिन माईन्स खुलने से हमें क्षति भी है, क्योंकि विगत वर्षों से हमारे क्षेत्र में अकाल की समस्या रही हैं। रेत खदान खुलने से यहाँ का जो जलस्तर हैं, वो पूरा माईन्स की तरफ चला जाएगा और हम लोगों को पीने के पानी के लिए तकलीफ होगा। कुछ लोगों को रोजगार मिलता हैं ,लेकिन हजारों लोगो को नुकसान होता है। पानी के लिए कष्ट झेलना पड़ेगा। पहले तिल्दा बाँध को जाकर देखिये पानी का कितना किल्लत हैं। सेमराडीह में जाकर देखिये वहाँ बड़े–बड़े माईन्स हैं और वहाँ पानी की किल्लत हैं, तो हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं।
11. श्री राहुल टंडन, ग्राम– बुड़गहन ने कहा कि जनसुनवाई में आए एस.डी.एम. सभी अधिकारी, पुलिस बल को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत हैं। खदान खुलने से ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत युवाओं को रोजगार मिलता है, और बहुत सहयोग भी मिलता है। इसलिए मैं इस लोक–जनसुनवाई खदान का समर्थन करता हूं।
12. श्री आनंदराम विश्वकर्मा, ग्राम – शिकारीकेशली ने कहा कि मैं इस खदान का समर्थन करता हूं और पत्थर खदान खुलना चाहिए।
13. श्री कमल बांधे, प्रदेश अध्यक्ष इंटक छत्तीसगढ़, ने कहा कि आज के पर्यावरणीय लोक सुनवाई में पहुंचे आदरणीय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पर्यावरण विभाग के

क्षेत्रीय अधिकारी, आदरणीय बुड़गहन के आदरणीय सरपंच तथा पंचगण हमारे आदरणीय पर्यावरण संरक्षण के सभी अधिकारी, श्रम व खनिज विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और हमारे ग्राम बुड़गहन तथा आमाकोनी के आस–पास से आये हुए हमारे जन प्रतिनिधि लोग, हमारे मीडिया के सभी साथी लोग हमारे साथी और हमारे सभी मजदूर यूनियन आज सुहेला थाना के प्रभारी व समस्त समस्त स्टाफ आज मेसर्स बुड़गहन लाइम स्टोन माइनिंग (मेसर्स श्री विनोद शर्मा), ग्राम बुड़गहन, मेसर्स बुड़गहन लाईम स्टोन क्वारी (प्रो. श्री आशीष अग्रवाल), ग्राम–बुड़गहन, मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो. श्री अशोक बाजपेयी), का पर्यावरणीय लोक सुनवाई में हार्दिक स्वागत करता हूँ, और समर्थन करता हूँ। स्वागत और समर्थन इसलिए करता हूँ कि क्योंकि जो लाइम स्टोन माईनिंग हैं वह पूर्व से संचालित हैं। आज की पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई क्षमता विस्तार के लिए आयोजित हैं। आदरणीय साथियों को बताना चाहता हूँ कि लाइम स्टोन माइनिंग खुलने से हमारे युवा बेरोजगार को शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा। साथ ही जिन्हें काम की तलाश में 10 कि.मी. से 20 कि.मी. दूर जा रहे थे, उन्हें पास में ही काम मिलेगा। जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही गौण खनिज रायल्टी से मिलना वाला सी. एस. आर. फंड से हमारे बुड़गहन और आस–पास के गाँव का विकास होगा। साथ ही गौण खनिज रायल्टी के डी.एम.एफ. फंड से राज्य को विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाएगी। साथ ही बुड़गहन आमाकोनी सेण्ड माईन के आदेश होने से हमारे गाँव के सर्वांगीण विकास होगा। साथ ही गौण खनिज रॉयल्टी एवं सी.एस.आर. फंड की डी.एम.एफ. से हमारे गांव के साथ ही प्रदेश के विकास में सहयोग होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, और मैं आज के पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई का मैं हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूँ। साथ ही आज की पर्यावरणीय लोक सुनवाई भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नोटिफिकेशन 2006 का पूर्णतः पालन करते हुए आयोजित है। मेरी कुछ मांग है कि उक्त स्टोन क्रशर में 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। सभी माइन्स में कार्यरत मजदूरों को सरकार के मजदूर अधिनियम 1948 का पालन करते हुए कलेक्टर दर में भुगतान होना चाहिए। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 का कड़ाई से पालन उक्त सभी क्रशर में होना चाहिए। साथ ही बुड़गहन गांव सहित आस–पास के क्षेत्र में पानी का छिड़काव होना चाहिए। साथ ही हैवी ब्लास्टिंग एवं अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए। साथ ही वृक्षारोपण होना चाहिए। साथ ही पर्यावरण, खनिज, श्रम अधिनियम एवं राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य अधिनियम का पालन होना चाहिए। क्रशर में कार्यरत मजदूरों के लिए इमरजेंसी की व्यवस्था होनी चाहिए।

14. श्री राम साहू, ग्राम – बुड़गहन ने कहा कि यहाँ पर पर्यावरणीय लोक जन सुनवाई का कार्यक्रम हो रहा है, पहले भी यहाँ पर खदान का संचालन हो चुका है और संचालन होने के बाद पानी को अभी बिटकुली बाँध में फेंक रहा हैं। हम सब गाँव वालो ने मिलकर अंडर ग्राऊण्ड पाईप लाईन की व्यवस्था की थी और कहा था कि उसमें पानी देंगे, लेकिन अभी पानी नहीं दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर के लिए भी बात किया था, लेकिन आज तक ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा है। जमीन की NOC भी दिये थे। माईन्स खुलने से उसके आस–पास की जमीन मे खेती नहीं हो पाती हैं, क्योंकि माईन्स का डस्ट उन खेतों में उड़कर आता हैं। हल चलाने में दिक्कत होती हैं और हमारे गाँव का स्कूल माईन्स के नजदीक हैं, वहाँ ब्लास्टिंग करने से स्कूल की दीवार भी टूट रहा है, जर्जर हो रही हैं। अभी बीच में ऐसे हालात हो गये थे कि करंट फैल गया था, बच्चे लोगों को खतरा हैं। पानी की भी किल्लत होती हैं। ग्रामवासियों के स्वास्थ्य में भी असर पड़ता है। इसलिए मैं इस लोक जन सुनवाई का पूर्ण विरोध करता हूँ और समस्त ग्रामवासियों की ओर से भी इसका विरोध करते हैं और आवेदन भी प्रस्तुत कर रहे हैं।
15. श्री अजय चकोले, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मजदूर सेवा समिति, ने कहा कि आज की लोक सुनवाई चूना पत्थर खदान के लिए हैं। इस खदान के EIA रिपोर्ट में बताया गया कि हम पूरे DGMS के नियमों का पालन करेंगे। पर्यावरण के नियमों का पालन करेंगे और इनके कंसल्टेन्ट ने बहुत अच्छे से समझाया इसलिए मैं इस खदान का समर्थन करता हूँ और संचालको से अनुरोध करता हूँ कि बुड़गहन ग्राम वासियो को कोई भी दिक्कत न हो, ऐसा कार्य करे कि गाँव के लोग आपके समर्थन में खड़े रहें।
16. श्री बेनीशंकर वर्मा, ग्राम – शिकारीकेशली ने कहा कि मुझे आमाकोनी गाँव में खदान खुलने से कोई आपत्ति नही हैं। इससे हम लोगो को रोजगार मिलेगा और इससे हमें काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
17. श्री नोहर साहू, ग्राम – शिकारीकेशली ने कहा कि मैं आमाकोनी खदान का समर्थन करता हूँ।
18. श्री नीलूराम पाल, ग्राम – शिकारीकेशली ने कहा कि मैं आमाकोनी खदान का समर्थन करता हूँ।
19. श्री रतिराम यदु, ग्राम – शिकारीकेशली ने कहा कि आमाकोनी खदान खुलने से हमें रोजगार मिलेगा और मुझे खदान खुलने से कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।
20. श्री धनुराम वर्मा ने कहा कि मैं आए हुए सभी अधिकारीगण का स्वागत करता हूँ। खदान खुलने से अभी तक ग्रामवासियों को कोई परेशानी नहीं हुआ है।

21. श्री विशेष सतनामी, ग्राम भठभेरा ने कहा कि मैं इस लोक जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ।
22. श्री कुलदीप, ग्राम भठभेरा ने कहा कि में इस खदान का समर्थन करता है।
23. श्री प्रहलाद ध्रुव, ग्राम रानीजरौद ने कहा कि खदान खुलने से मुझे खुशी है क्योकि इससे हमें रोजगार मिलेगा।
24. श्री अखिलेश सतनामी, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय सतनाम सेना ने कहा में इस खदान का समर्थन करता हूँ।
25. श्री घनश्याम सतनामी, महासचिव ने कहा कि मैं इस खदान का समर्थन करता हूँ।
26. श्री करमचंद सतनामी, ने कहा कि मैं इस खदान का समर्थन करता हूँ।
27. श्री जगन्नाथ धृतलहरे, ग्राम– बुड़गहन ने कहा कि खदान चालू होना चाहिए और मैं इस खदान का समर्थन करता हूँ।
28. श्री टिकेश्वर प्रसाद, ग्राम पंचायत– बुड़गहन साहू ने कहा कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि लोक जनसुनवाई ग्राम पंचायत बुड़गहन के लिए हो रही हैं तो बाकी दूसरे गाँव के लोग यहाँ आकर अपनी बात रख रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह खदान बुड़गहन में खुल रहा है, तो बुड़गहन गाँव के लोगों को ही जनसुनवाई में होना चाहिए। दूसरे गाँव के लोग यहाँ आएंगे और काम करके चले जाएंगे। कोई भी परेशानी होने से वह हम बुड़गहन ग्रामवासियों को होगी। पानी की दिक्कत बुड़गहन को होगी। यहाँ सामने जो तालाब हैं पहले उसमें हम लोग नहाने जाते थे, पर अब उसमें नहा नहीं सकते हैं।
29. श्री डागेश्वर साहू, सदस्य, ने कहा कि हम लोग अभी तक 450 पेड़ लगा चुके हैं लेकिन अभी तक गर्वनमेंट से लाभ नहीं मिला हैं। माईन्स से भी कोई फायदा नहीं हुआ है। हम लोग गाँव में भाईचारे से मिलकर पेड़ लगा रहे हैं। गर्वनमेंट द्वारा 1200 पेड़ लगाए गए थे, उसमें आज 50 पेड़ भी जिन्दा नहीं बचे हैं। गाँव के मीडिल स्कूल में 150 पेड़ और गौठान में 550 पेड़ लगा था और श्मशान घाट में पेड़ लगा था उसमें भी पेड़ नहीं बचा है। हम लोग गाँव वाले से पेड़ लगाये है, उसमें से एक भी पेड़ कम नहीं हुआ है। हम लोग खुद ही 100–50 रुपये मिलाकर खाद इत्यादि सामग्री लेते हैं। पेड़ों में पानी डालने के लिए हम एवं रिक्शा गाड़ी की व्यवस्था हमने खुद किया है। हमें कहीं से भी सहायता नहीं मिली हैं। अभी 3 महीने पहले महिला समूह को दिया है और हम लोगो ने 450 पेड़ लगाकर, उन्हें जिन्दा रखा है तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए था। पूरे पेड़ मर चुके हैं अमलीडीह वाले रास्ते में लगे हुए 350 पेड़ पूरी तरह मर चुके हैं।
30. श्री बबलू कुमार यादव, ग्राम– बिटकुली ने कहा कि बुड़गहन खदान का समर्थन करता हूँ। ग्राम–बिटकुली में क्रशर लगा हुआ है जिससे हमें रोजगार मिला हैं।

31. श्री सत्येंद्र कुमार साहू, संजय ग्राम– बुड़गहन ने कहा कि लाइम स्टोन माईन्स के संबंध में कुछ सवाल करना चाहता है। इससे पहले गुजरा प्रहार गे कि हमारे खेत के बगल में लगा हुआ है। जब से मह माईन्स आमा हैं हमें पानी की पूर्ति नहीं होती है। हम पहले ही एक माईन्स से पीड़ित हैं और अगर माईन्स खुलेंगे तो पानी की पूर्ति हम कैसे करेंगे? इसटा सवाल यह है कि उस एरिया में लास्टिंग के टाइम पर पत्थर के चिप्स उड़कर खेतों में आते हैं और उस तएम पर हम खेतो में काम कर रहे होते हैं। उस समय किसी प्रकार की चोट लगने से उसकी जनाबदारी किसकी होगी। तीसरा सवाल ये है कि मेरा खेत तो 1 एकड़ है वो डूब जाएगा तो चलेगा भी लेकिन गाँव का जलस्त्रोत कम हो जाएगा तो उसका जवाबदार कौन होगा? आज इसके चलते हमारे जो थान का फसल वाटर लेवल कम होने से अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मैं सचिव महोदय से कुछ कहना चाहता हूँ वो अगर यहाँ उपस्थित हैं तो कृप्या सामने आए। मुझे उन्हें एक लेटर देना है और उनसे रिसिविंग लेना हैं कि अगर कल को यह NOC जारी होता है तो मैं जाकर यह ब्लेम उहेंगा कि यह NOC कैसे दिया गया। अगर वो यहाँ नहीं हैं तो इस NOC का कोई मतलब नहीं है। गाँव के जनसुनवाई में गाँव का सचिव उपस्थित नहीं है है तो आप ही बताइये ऐसी लोक सुनवाई का क्या मतलब ? ग्राम पंचायत के सरपंच को एक्टिव होना चाहिए। माईन्स जो है वो ओपन माईन्स हैं तो उसमें जो पत्थर ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे तारपोलिन से ढककर करेंगे लेकिन मैने आज तक ऐसा होते नहीं देखा है। किसी भी माईन्स में पेड़–पौधे भी नहीं लगाते हैं। मैं इस लाइम स्टोन माईन्स का विरोध करता हूँ।
32. श्री तिलक राम वर्मा, ग्राम– बुड़गहन ने कहा कि आज जो लोक सुनवाई का कार्यक्रम दिनांक 04/12/2024 को रखा गया है। इससे पहले हमारे गाँव के मुखिया को, सरपंच को, ग्राम पंचायत को जानकारी दिया गया है क्या? मैं यह जानना चाहता हूँ। मैं हमारे सरपंच को पूछना चाहता हूँ कि उनको लोक सुनवाई की जानकारी पहले से थी कि नहीं ? गाँव वालो को पता नहीं था कल 6:30 बजे मुनादी करवाई गई।
33. श्रीमती मालेश्वरी साहू, सरपंच, ग्राम– बुड़गहन ने कहा कि मुझे यहाँ की जन सुनवाई की जानकारी नहीं है। कल मुनादी हुआ है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें आपत्ति है– खदान खुलने से, और कह रहे हैं कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई हैं तो वह इसलिए कि हुआ क्योंकि वह पहले ठीक ढंग से नहीं बना था और मैंने पूरे गाँव में मुनादी करवाई हैं। मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया अब यही लोग मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। मैं गाँव के पक्ष में काम करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि गाँव का विकास हो, लेकिन मैं गाँव के पक्ष में रहूँगी और जो भी रायल्टी मिल रहा है उससे गाँव का विकास हो रहा हैं। आज बुड़गहन

में 4000 से ज्यादा पेड़ हैं। लोग यहाँ पर राजनीतिक कारणों से बोल रहे हैं वरना आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ लगे हुए हैं। मैं खदान का समर्थन करती हूँ। और गाँव में विकास कार्य होंगे।

34. श्री चन्द्रहास, उपाध्यक्ष, ST/SC छात्र संघ ने कहा कि आज हमारे गाँव की जो स्थिति हैं जो बहुत बेरोजगारी हैं। कुछ लोग तो आस पास की कम्पनी में काम कर रहे हैं लेकिन बाकि लोगो का क्या होगा? अभी हमारे गाँव के पास खदान खुला है उसमें 20–25 लोगो को रोजगार मिला हैं तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे गाँव में अगर खदान खुला रहा है तो 80% कर्मचारी हमारे गाँव से हो और अगर खदान बन्द कर दिया जाएगा तो वहाँ काम कर रहे लोगो क्या होगा ? यहाँ जो पेड़–पौधे मर रहे है वो धूप और पानी की वजह से मर रहे हैं। वो गाँव की जवाबदारी है और गर्मी में जो पानी का स्तर कम होता है तो उसको खदान को ज्यादा गहरा ना खोदे। तो यह बात है कि जो परेशानी है उसका कुछ बन्दोबस्त किया जाए ना कि बन्द किया जाए। खदान का हम लोग समर्थन करता हूँ।
35. लोक सुनवाई में उपस्थित एक व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत पीड़ित हूँ। खदान के बगल मे मेरा खेत हैं। हर साल मेरा धान खराब हो रहा हैं, 20 साल से मेरा फसल मर रहा हैं। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मेरा झोपड़ी आज भी झोपड़ी हैं। मेरा क्या होगा?
36. श्री राम वर्मा, ग्राम– बुड़गहन ने कहा कि वृक्षारोपण का कार्य करते हैं हम लोग । हमारी पंजीकृत संस्था जन मित्र कल्याण संस्था, इसमें हम 15 लोग हैं। 3 साल तक हम पर्यावरण विभाग रामपुर गए थे। आज तक कुछ पैसा नहीं मिला जबकि हम लोग 100% पेड़ लगा के सक्सेस करते हैं। फूल – पत्ते लगाने वाले को डोनेशन देते हैं उसमें उसका भी हिस्सेदारी होता होगा शायद। हम लोग इंजीनियर को भी बोले थे कि कुछ डोनेशन दे दीजिए फिर भी नहीं मिला। कुछ पैसे जमा करके हमने वृक्षारोपण किया है। बुड़गहन में माईन्स नही खुलना चाहिए।
37. श्री बंजारे, ग्राम पंचायत बुड़गहन ने कहा कि मैं यहाँ माईन्स खुलने का समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे मुझे रोजगार मिला हैं और मेरा घर परिवार इसी से चलता है। मेरा घर में कोई कमाने वाला नहीं हैं। मैं इसी के भरोसे अपना घर चला रहा हूँ। इसलिए माईन्स खुलना चाहिए।
38. श्री भागीरथी साहू, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि हमारे गाँव में खदान से कुछ नहीं मिलता है। मैं कहना चाहूँगा कि जब गाँव में कोई कार्यक्रम होता है तो माईन्स की ओर से सहयोग किया जाता हैं। मैं खदान का समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे हमारे गाँव के लोगों को रोजगार मिलता हैं। मैं प्रत्यक्ष रूप से खदान का समर्थन करता हूँ। 4000 पौधे पंचायत द्वारा लगाया गया है। पर्यावरण के लिए बहुत कार्य किया गया है।

अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा कहा गया कि इस जनसुनवाई में जो आम जनता के द्वारा जो अपना विचार व्यक्त किया गया है, उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक क्या विचार रखते हैं, वो आकर अपना स्पष्टीकरण दें।

परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद शर्मा एवं श्री आशीष अग्रवाल की ओर से श्री आशुतोष सन्यासी मेसर्स एम्प्लएनवायरो प्राईवेट लिमिटेड ने कहा कि पहला बिंदु जो था, ध्वनि प्रदूषण को लेकर तो हमने यहां का 3 महीने का मॉनिटरिंग किया था। इसमें जो मानक पाया गया है – स्टैंडर्ड मानक 55 डेसीबल तक होना चाहिए, उससे कम ही पाया गया है। दिन में 52.3 डेसीबल और रात में 48.1 डेसीबल था। तो सर्वे से पता चलता है कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति नहीं है। खदान के पानी को किसान को देना चाहिए, तो इसके लिए यही कहना चाहूंगा कि ये वास्तविकता है। खदान से निकलने वाला पानी का खदान मालिक क्या ही करेंगे? जिनको भी आवश्यकता है, वो पंप लगाकर पानी को अपने उपयोग के लिए ले जाते हैं। खदान के पानी को आप लोग उपयोग कीजिए, इसमें खदान मालिक को कोई आपत्ति नहीं है। यहां लगभग सौ खदानें संचालित हैं और सब खदान से पानी दिया जाता है। किसी ने यहां पर कहा कि जलस्त्रोत का स्तर कम हो रहा है, तो मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में जलस्त्रोत कम हो रहे हैं। इसका कारण माइन्स नहीं है। जलस्त्रोत को बढ़ाने के लिए गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। यहां का जो सर्वे किया गया उसमें पाया गया कि यहां का जलस्त्रोत 30 से 35 मीटर नीचे है। हमारा माइनिंग प्रोजेक्ट 12 मीटर की गहराई तक है। तो इसमें ग्राउंड वाटर को नुकसान नहीं होगा। लाइम स्टोन क्वारी एरिया पर डिपेंड करता है कि अल्टीमेट डेप्थ ऑफ पीट लिमिट खत्म नहीं होती है। अभी जो माइनिंग करेंगे वह इस पर निर्भर करता है कि मजदूरों और मशीनों की गहराई तक खुदाई करने में परेशानी ना हो। न्यूनतम रोजगार दर जो सरकार ने निर्धारित किया है उसमें मजदूर नहीं मिलते हैं। इसलिए मजदूरों को न्यूनतम रोजगार दर से ज्यादा पैसा मिलता है। नियमित पानी का छिड़काव भी किया जाता है। कोई भी खनिज संपदा का परिवहन तारपोलिन ढककर किया जाता है। अगर कोई वाहन तारपोलिन ढककर नहीं चलता तो उसकी शिकायत आप लोग संबंधित थाने में करिए। जनसुनवाई में सभी लोग आ सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। वृक्षारोपण भी किया जाता है। ग्रामवासियों के द्वारा दिए गए सुझाव एव ंसमर्थन का हम ह्रदय से धन्यवाद देते हैं।

अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा ने कहा कि आज इस जन सुनवाई में जो भी कार्यवाही की गई वो सभी रिकॉडिंग कर ली गई है। आप सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विचार अपना अभिमत व्यक्त किया। इसके लिए

मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आज की जन सुनवाई की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। पुर्वान्ह 11.25 बजे लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई। लोकसुनवाई के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या 05 है। संपूर्ण लोकसुनवाई की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की गई।

(प्रकाश कुमार रबड़े)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

(भूपेन्द्र अग्रवाल)
अपर कलेक्टर,
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)